IN THE COURT OF ADDL. DISTRICT JUDGE -V
Civil Court, Munger
M.T.A. 39 of 2016 (C.I.S. No. 48/2016)

Upendra Mandal & Ors. .....Appellants
Vs.
Ashok Mandal & Ors. .....Respondents

Date of Order.	Order with the signature of the Court	Office action taken
06.03.2020	उभयपक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। अभिलेख अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 12.07.2017 अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु निश्चित है। अपने आवेदन के माध्यम से अपीलार्थी निवेदन करते हैं कि उत्तरवादी/वादी ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध स्वत्व की घोषणा एवं कब्जे की पुर्नप्राप्ति हेतु वाद दायर किया था जो वाद सम्पत्ति वादपत्र की अनुसूची–III में वर्णित है। उस वाद में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण उपस्थित होकर अपना लिखित कथन दाखिल किए और वादी के दावे से इनकार किए। उत्तरवादी/वादी का दावा यह था कि अनुसूची–III में वर्णित सम्पत्ति अपीलार्थी और उत्तरवादीगण के पिता के बीच हुए पारिवारिक बॅटवारा में बराबर–बराबर हिस्से में पड़ा था जो उनके मूल पूर्वज कार्तिक महतो की सम्पत्ति थी। वाद में अपीलार्थी/प्रतिवादी ने उपस्थित होकर बॅटवारे को स्वीकार किया लेकिन यह भी कहा कि वादी/उत्तरवादीगण के हिस्से को अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा खरीदा जा चुका है इसलिए वादपत्र की अनुसूची–II एवं III में उत्तरवादी/वादी की कोई सम्पत्ति नहीं बची है ना ही उसका स्वत्व कब्जा है। अतः वाद खारिज किया जाये। निम्न न्यायालय में उभयपक्षों ने अपना–अपना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसके आधार पर विद्वान मुंसिफ–द्वितीय द्वारा 19.08.2016 को निर्णय पारित किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील किया गया। अपीलार्थी ने अपने समर्थन में कई दस्तावेज प्रस्तुत किए जिसमें प्रदर्श–A सिरीज मूल अनुसूची–III में वर्णित सम्पत्ति के संबंध में मूल विक्रय पत्र था जिसके आधार पर विद्वान न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रतिवादी का स्वत्व घोषित किया। निम्न न्यायालय में अपीलार्थी सिर्फ तीन विक्रय पत्र जो उसके जानकारी में था प्रस्तुत कर सका जबकि उसे अन्य विक्रय पत्र भी प्रस्तुत करना था जो उसके दावे के समर्थन में	

Contd.. **06-03-2020**	प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था लेकिन वे दस्तावेज अपीलार्थी के जानकारी में ना होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। निम्न न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा उन विक्रय पत्रों की खोज की जाने लगी और काफी खोजबीन के बाद एक पुराने टिन के बक्से में वे विक्रय पत्र (केवाला) मिले जो पहले अपीलार्थी के जानकारी में नहीं थे जिस कारण इस आवेदन एवं सूची के साथ वे दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यह कि यह विक्रय पत्र उभय पक्षों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के निर्धारण के लिए आवश्यक है जिसे निम्न न्यायालय में विचारण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जा सका। वाद के उचित निर्धारण के लिए वे दस्तावेज आवश्यक हैं। अतः इसे अपीलार्थी की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाये और चूंकि दस्तावेज 30 (तीस) वर्ष से भी काफी पुराने हैं अतः उन्हें प्रदर्श अंकित किया जाये। अपीलार्थी की ओर से दस्तावेजों की सूची के साथ मूल विक्रय पत्र दिनांक 23.09.1957, 15.07.1959, 23.12.1959 तथा 11.08.1959 दाखिल कर इन्हें अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में लेने का निवेदन किया गया है। उत्तरवादी की ओर से प्रतिउत्तर देकर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी का आवेदन पोषणीय नहीं है और प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की परिधि में नहीं आता है। प्रस्तुत दस्तावेज निम्न न्यायालय में विचाारण के दौरान भी अपीलार्थी के कब्जे में थे क्योंकि दाखिल चार विक्रय पत्र में एक विक्रय पत्र अपीलार्थी अनिल कुमार मंडल तथा तीन विक्रय पत्र अपीलार्थी के पिता लोकनाथ मंडल के नाम से है। सभी विक्रय पत्र जाली और बनावटी हैं जिसपर चंद्रशेखर मंडल का ना तो हस्ताक्षर है ना ही अंगूठे का निशान है। यह कि अपीलार्थी अपील के दौरान भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं। यह स्वीकार करने योग्य नहीं हैं कि जिस व्यक्ति के कब्जे में दस्तावेज है उसे उसकी जानकारी नहीं है। आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 में उल्लेखित आधार आवेदन से आकर्षित नहीं होते हैं। अतः आवेदन अस्वीकृत किया जाये। उभयपक्षों को सुना जा चुका है। आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का अवलोकन किया जो इस प्रकार है– “**27. Production of additional evidence in Appellate Court**.-(1) The parties to an appeal shall not be entitled to produce additional	

Contd.. **06-03-2020**	evidence, whether oral or documentary, in the Appellate Court. But if- (a) the Court from whose decree the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted, or [(aa) the party seeking to produce additional evidence, establishes that notwithstanding the exercise of due diligence, such evidence was not within his knowledge or could not, after the exercise of due diligence, be produced by him at the time when the decree appealed against was passed, or] (b) the Appellate Court requires any document to be produced or any witness to be examined to enable it to pronounce judgment, or for any other substantial cause, the Appellate Court may allow such evidence or document to be produced, or witness to be examined. (2) Whenever additional evidence is allowed to be produced by an Appellate Court, the Court shall record the reason for its admission." निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि निम्न न्यायालय में वादी जो अपील में प्रतिवादी हैं, ने इस आशय का स्वत्व वाद संख्या 1/2010 संस्थित किया था कि वादपत्र के अनुसूची–III में वर्णित सम्पत्ति पर उसके स्वत्व की घोषणा की जाये और कब्जे की पुर्नप्राप्ति प्रतिवादीगण से करायी जाये। उक्त वाद में सभी प्रतिवादीगण जो इस वाद में अपीलार्थी हैं, में उपस्थित होकर अपना संयुक्त लिखित कथन दाखिल किया और अपने लिखित कथन के पारा–13 एवं 14 में कहा कि यह कहना गलत है कि अनुसूची–III की सम्पत्ति अनन्य रूप से स्व0 चंद्रशेखर मंडल की थी क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा अनुसूची–III की सम्पत्ति स्व0 चंद्रशेखर मंडल से प्रतिवादीगण द्वारा तीन विभिन्न निबंधित केवाला दिनांक 29.02.1960, 15.07.1966 एवं 28.10.1967 द्वारा खरीद ली गई थी तबसे प्रतिवादीगण इसपर दखल–कब्जे में अपने स्वत्व अधिकार के साथ हैं एवं वादीगण को अनुसूची–III की सम्पत्ति से कोई सरोकार नहीं है। लिखित कथन के पारा–16 में भी प्रतिवादीगण का कथन है	

Contd.. **06-03-2020**	कि स्व0 चंद्रशेखर मंडल ने बॅटवारे में प्राप्त अपने पैतृक सम्पत्ति का सारा हिस्सा बेच दिया था। प्रतिवादीगण के लिखित कथन से स्पष्ट है कि वादपत्र की अनुसूची–III में वर्णित सम्पत्ति को तीन केवाला के माध्यम से प्रतिवादीगण द्वारा चंद्रशेखर मंडल से खरीदने की बात कही गई है और उनके प्रस्तुत आवेदन से भी स्पष्ट है कि यही तीन विक्रय पत्र उनके द्वारा प्रदर्श के रूप में निम्न न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वह क्रमशः प्रदर्श–A, A/1 एवं A/2 के रूप में प्रस्तुत किया है। अपने साक्ष्य में भी प्रतिवादी योगेन्द्र मंडल ने निम्न न्यायालय में इन्हीं तीन विक्रय पत्र का उल्लेख किया है। प्रतिवादीगण के लिखित कथन एवं साक्ष्य में कहीं भी अन्य विक्रय पत्र का उल्लेख नहीं आया है। प्रस्तुत आवेदन अपीलार्थी ने इस आधार पर लाया है कि उक्त चार विक्रय पत्र उसके व्यक्तिगत जानकारी में नहीं थे जिस कारण निम्न न्यायालय में उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका। निम्न न्यायालय के निर्णय के बाद काफी खोजने पर उसे टिन के बक्से में उक्त विक्रय पत्र मिले। निम्न न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या 01/2010 दिनांक 08.01.2010 को संस्थित किया गया था और 25.07.2011 को प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.08.2016 को पारित हुआ। अतः यह कहना कि इस लंबी अवधि में भी अपीलार्थीगण को सम्यक सतर्कता के बावजूद उक्त दस्तावेजों का ज्ञान नहीं था, सही प्रतीत नहीं होता है। उक्त दस्तावेज की सत्यापित प्रति प्राप्त कर भी अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में विचारण के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता था। जबकि अपने लिखित कथन में प्रतिवादीगण/अपीलार्थी का कहना था कि अनुसूची–III में वर्णित समस्त सम्पत्ति इनलोगों के द्वारा खरीद कर ली गई है और वादीगण की कोई सम्पत्ति अनुसूची–III में वर्णित सम्पत्ति में नहीं बची है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का यह दायित्व था कि वे अपने कथन के समर्थन में वादपत्र की अनुसूची–III में वर्णित सम्पत्ति जिसे वे अपने द्वारा खरीदगी कहते हैं, के समस्त दस्तावेज निम्न न्यायालय में प्रस्तुत करते लेकिन अपीलार्थीगण ऐसा करने में असमर्थ रहे। अपील के स्तर पर अपीलार्थी के कमियों को दूर करने के लिए आदेश 41 नियम 27 का अवलंबन नहीं लिया जा सकता है। अतः उपरोक्त तथ्य, परिस्थिति के आलोक में अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 12.07.2017 अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकृत	

Contd.. **06-03-2020**	करने योग्य प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार अपीलार्थी का आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। उभयपक्ष अग्रिम कारवाई के लिए दिनांक 08.04.2020 को उपस्थित रहें। लेखापित **(Raghubansh Narain)** **Addl. District Judge-V, Munger**	